BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. NO. 199/2024

IN THE MATTER OF:

SWAMI OMKARANAND DHARMA SAMSTHAN ......APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARASKHAND & Ors. ...RESPONDENTS

INDEX

1. Status Report by the District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, in compliance of the order dated 20.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter.

Table of Annexure

Annexure	PARTICULARS	Page No.
1.	Compliance Report by the District Magistrate, Tehri Garhwal in term of the order dated 20.08.2024	1-4
Annexure - A	Report by DM along with Annexures	5-15

Filed by:

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent
Office: A-25, Second floor,
Defence Colony, New Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. NO. 199/2024

IN THE MATTER OF:

SWAMI OMKARANAND DHARMA
SAMSTHAN ……APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARASKHAND & Ors. …RESPONDENTS

Status Report by the District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, in compliance of the order dated 20.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

1. That the present matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 20.08.2024 and this Hon'ble Tribunal directed the District Magistrate/ Respondent no 1 to file the report with respect to issues raised in the present OA. The directions of this Hon'ble Tribunal on the last date of hearing is quoted here verbatim-

> *1. Respondent 3 has filed its response.*
> *2 No response has been filed by respondents 1, 2 and 4.*
> *3. As a last opportunity we grant three weeks further time to respondents 1, 2 and 4 to file their response, if any.*

District Magistrate
Tehri Garhwal

> *4. We also make it clear that in case no reply is filed on behalf of respondent 1, District Magistrate, Tehri Garhwal shall appear in person.*
> *5. List on 17.09.2024.*

2. That pursuant to the directions of this Hon'ble Tribunal dated 30.04.2024, a joint committee was constituted consisting of nominated members on behalf of the Secretary, Department of Irrigation, Government of Uttarakhand, Pollution Control Board, Uttarakhand and the District Magistrate, Tehri Garhwal to inspect the site of German Bakery, at Rishikesh and submit its report before the Hon'ble Tribunal.

3. The Committee visited the site on 06.08.2024 in the presence of the representatives of the Applicant and Respondent No. 4.

4. The committee's finding and its report have already been filed before this Hon'ble Tribunal on 17/08/2024. It has been found during the inspection that the construction made by Respondent no 4 German Bakery is without the sanctioned site plan from the District Level Development

District Magistrate
Tehri Garhwal

Authority, Tehri, and thus is in violation of extant law and rules as applicable for such construction.

5. It is submitted that the violation of building laws comes under the jurisdiction of the District Level Development Authority. All such cases of violation of building laws and illegal construction are dealt with independently by the Authority.

6. It has been reported by the District Level Development Authority that after following due procedure the Authority has ordered the mentioned property to be sealed on 16.09.2024.

7. As per the directions of the Hon'ble Tribunal, Respondent no 4 has been served the notice regarding the pendency of the present proceedings.

8. In view of the facts and circumstances, as explained herein above, sincere efforts are taken by the Respondent no 1 - District Magistrate, Tehri Garhwal, in compliance with the directions passed by this Hon'ble Tribunal. The same may kindly be accepted, and the undersigned hereby undertakes

District Magistrate
Tehri Garhwal

to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

District Magistrate,
Tehri Garhwal
District Magistrate
Tehri Garhwal

Filed By
[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /
Respondent 1
Office: A-25, Second floor,
Defence Colony, New Delhi-110024
Mobile No. 9811101934

।। ई–मेल / स्पीड पोस्ट ।।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

सेवा में,

श्री कौशलपति गौतम,
अपर महाधिवक्ता उत्तराखण्ड,
मा0 सर्वोच्च न्यायालय,
सी– 203 लोवर ग्राउण्ड फ्लोर,
डिफेन्स कलोनी, नई दिल्ली।

पत्रांकः– 41 / गंगा समिति / एन0जी0टी0 / (2024–25) नई टिहरी, दिनांक 13 सितम्बर , 2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–199 / 2024 स्वामी ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा ए. आर. डॉ0 अनुपम बैद बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि, में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–199 / 2024 स्वामी ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा ए. आर. डॉ0 अनुपम बैद बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 का अनुपालन सुनिश्चित कर उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी / प्रतिवाद किये जाने हेतु आपको नामित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–199 / 2024 स्वामी ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा ए. आर. डॉ0 अनुपम बैद बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 के अनुपालन के कम में गठित संयुक्त समिति द्वारा प्राप्त आख्या तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा तैयार किये गये बिन्दुवार आख्या के कम में प्रतिवादी संख्या–01 जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की ओर से जबावदावा नियत तिथि से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–199 / 2024 में दाखिल करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
टिहरी गढवाल।

ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा ए. आर. डॉ0 अनुपम बैद
बनाम
उत्तराखण्ड सरकार आदि।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–199/2024 स्वामी ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा ए. आर. डॉ0 अनुपम बैद बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के अनुपालन के क्रम में संयुक्त समिति हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की तरफ से सदस्य के रुप में उप जिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नरेन्द्रनगर को नामित किया गया।(पत्र संख्या–31/जिला गंगा समिति टि0ग0 दिनांक 26 जुलाई 2024–संलग्न), तदोपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–199/2024 के निर्देश के क्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा विस्तृत जॉच आख्या दी गयी है। (पत्र संख्या–494/एस0पी0ए0/एस0डी0एम0/2024 दिनॉक 28.08.2024–संलग्न)
2. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एक स्वतंत्र इकाई है, जिसका नेतृत्व जिला स्तर पर उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जिस पर वर्तमान में श्री पी.सी. दुम्का पदस्थ है। अवैध निर्माण/मानचित्र से सम्बन्धित प्रकरणों पर कार्यवाही उक्त प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
3. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नरेन्द्रनगर द्वारा, प्रदत रिपोर्ट के क्रम में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई के उपरान्त दिनॉक 16.09.2024 को सील करने के आदेश पारित किये गये हैं।
(पत्र संख्या–230/जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनॉक 13.09.2024–संलग्न)
4. प्रतिवादी नम्बर–04 मै0 जर्मन बैकरी, स्वामी देवराज भट्ट को तामिल किया गया है। (संलग्न)
5. तद्नुसार नामित प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (पत्र संख्या–504/एस0पी0ए0/एस0डी0एम0/2024 दिनॉक 13.09.2024–संलग्न)।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा संरक्षण समिति,
टिहरी गढवाल।

—:: **आदेश** ::—

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या—199/2024 स्वामी विवेकानंद धर्माश्रम (ए.आर.डॉ.अनुपम वैद के माध्यम से) बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 16.07.2024 के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के मौजा तपोवन (लक्ष्मण झूला) तहसील नरेन्द्रनगर में स्थित जर्मन बैकरी (खसरा नम्बर 260/274) जिसकी माप 233 वर्ग गज है, जिसकी पहली मंजिल की छत पर दूसरी मंजिल के अवैध निर्माण आदि की शिकायत की गयी है, जिसके कम में शिकायतकर्ता के आवेदन में उल्लेखित कथनों की वास्तविकता के सत्यापन उपरान्त उपचारात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, जल शक्ति विभाग, उत्तराखण्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड और जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठन करने तथा उक्त गठित समिति को दो सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर शिकायत पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की गई है, कि स्थलीय सत्यापन के दौरान आवेदक तथा संबधित परियोजना के प्रस्तावक को सम्मिलित किया जाय। उक्त समिति में समन्वय एवं अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट एवं उनके उत्तर/प्रतिकिया को judicial-ngt@gov.in ई—मेल पर पीडीएफ के माध्यम से प्रकरण में नियत सुनवाई की तिथि 20.08.2024 से एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा भी की गई है।

मा0 एन.जी.टी. के निर्देशों के अनुपालन में विभाग/कार्यालय की ओर से विज्ञ अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी/सयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नरेन्द्रनगर (मो0नं0—9410191049) को नामित किया जाता है।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या— 31 /जिला गंगा समिति टि0ग0 दिनांक नई टिहरी 26 जुलाई, 2024

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, जल शक्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3— उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4— क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

c/c

जिला कार्यालय प्राप्ति दिनांक 7/9/24 टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

31 DPO(NGT)

R.N.-4818/ERK 137 7-9-24

ADM/OC/CR DPO(NGT) 8

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल 7/9/24

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/ 499/एस0पी0ए0/(SDM)/2024 दिनांक 28 अगस्त, 2024

विषयः- **Service of Notice dated 22-07-2024 to Respondent (R-I & R-4 as per Notice Copy closed) in Original Application No. 199/2024 titled "Swami Omkarananda Dharm Samsthan Through its AR Dr. Anupam Vaid Vs. State of Uttarakhand & Ors." reg के संबंध में जांच आख्या।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक विषयक कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या-145/19-मु0वाचक/नोटिस/2024 दिनांक नई टिहरी अगस्त, 20, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 **National Green Tribunal** के पत्र संख्या-**NGT/Judicial/OA/199-2024** दिनांक 22.07.2024 द्वारा प्रकरण तपोवन लक्ष्मणझूला में जर्मन बेकरी की छत पर अवैध निर्माण के संबंध में पारित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये है।

उक्त कम में अवगत कराना है कि पूर्व में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं सिंचाई खण्ड तृतीय मुनिकीरेती द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल थे। उक्त समिति द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से जांच की गयी है। संयुक्त जांच में निम्न तथ्य परिलक्षित हुये है, जो निम्नवत् हैः

- जर्मन बेकरी के भूतल में 02 कमरों का निर्माण तथा प्रथम तल पर जर्मन बेकरी के नाम से काफी शॉप तथा एक बुक स्टोर संचालित है। कॉफी शॉप में 12 टेबिल है, तथा दूसरी मंजिल पर योगा हॉल का निर्माण/संचालन किया जा रहा है।
- प्रश्नगत शिकायती स्थल से जनित होने वाला घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवर लाइन से संयोजन किया गया है।
- सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड तृतीय मुनिकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत शिकायती स्थल सौ वर्षीय बाढ़ आवृत्ति (**Hundred Years Flood Frequency Line**) की सीमा अभिलेखों के अनुसार बाहर पाया गया। उक्त भवन गंगा नदी के दांये किनारे पर उर्ध्वाधर चट्टान के ऊपर स्थित है।
- सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया है कि जर्मन बेकरी तपोवन लक्ष्मण झूला के निकट स्थित है, उक्त भवन श्री देवराज भट्ट के नाम अभिलेखों में दर्ज है, के आधार पर देवराज भट्ट द्वारा वर्ष 2002 में ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा उक्त भूमि क्रय

की गयी, जिसका कुल क्षेत्रफल–194.00 वर्गमीटर, जिसमें पूर्व से 12 X 12 क्षेत्रफल–144.00 वर्गफीट अर्थात् 13.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रेस्टोरेंट निर्मित था। उक्त भवन के विरूद्ध जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में वाद योजित कराया गया है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन लक्ष्मणझूला के निकट गंगा नदी के किनारे वर्तमान में तीन तलों में निर्मित है। भवन के प्रथम भूतल पर पूर्व से 12 X 12 क्षेत्रफल–144.00 वर्गफीट अर्थात् 13.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रेस्टोरेंट निर्मित था, जिसके ऊपर भूतल एवं प्रथम तल में बुक स्टोर एवं जर्मन बेकरी संचालित है, तथा सबसे ऊपर के तल पर योगा हॉल निर्मित है, जिसकी लम्बाई 19.20 मीटर एवं चौड़ाई 10.60 मीटर एवं क्षेत्रफल 203.50 वर्गमीटर है।

उक्त भवन का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है। उक्त भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं होने के कारण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन के विरूद्ध वाद संख्या–**UCMS/TSN/C/0121/2024/24(1)** दिनांक 24.06.2024 योजित किया है, जिसकी सुनवाई गतिमान है।

अतः अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर

कार्यालय

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।

Website- ddatehri.in E-mail– ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 195/ जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक – 14.08.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन 199/2024 स्वामी ओमकारानन्दा धर्म संस्थान वर्सेज राज्य सरकार दिनांक–30.04.2024 के क्रम में मै0 जर्मन बेकरी के सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि जर्मन बेकरी, तपोवन लक्ष्मणझूला के निकट स्थित है, उक्त भवन श्री देवराज भट्ट के नाम अभिलेख में दर्ज है, के आधार पर श्री देवराज भट्ट द्वारा वर्ष 2002 में ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा उक्त भूमि क्रय की गयी, जिसका कुल क्षेत्रफल–194.88 वर्ग मीटर जिसमें पूर्व से 12X12 क्षेत्रफल–144.00 वर्ग फीट अथात् 13.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रेस्ट्रोरेन्ट निर्मित था। ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा जिसमें जर्मन बेकरी गतिमान है, उक्त भवन के विरूद्ध जिला न्यायालय टिहरी में वाद योजित कराया गया है, जिसकी सुनवाई गतिमान है, के द्वारा जर्मन बेकरी के अवैध भवन की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा उक्त भवन की जाच की गयी, जांचोपरान्त पाया गया कि उक्त भवन, लक्ष्मणझूला के निकट गंगा नदी के किनारे वर्तमान में तीन तलो मे निर्मित है, उक्त भवन के प्रथम भूतल पूर्व से 12x12 क्षेत्रफल 144.00 वर्ग फीट अथात 13.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रेस्ट्रोरेन्ट निर्मित था जिसके उपर भूतल एवं प्रथम तल में बुक स्टोर एवं जर्मन बेकरी संचालित है तथा सबसे उपर के तल पर योगा हॉल निर्मित है, जिसकी लम्बाई 19.20 मी0 एवं चौडाई 10.60 मी0 एवं क्षेत्रफल–203.50 वर्ग मीटर है उक्त भवन का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है। उक्त भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं होने से प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन के विरूद्ध वाद संख्या–UCMS/TSN/C/0121/2024/24(1), दिनांक–24.06.2024 द्वारा वाद योजित है(संलग्न)। जिसकी सुनवाई प्राधिकरण में गतिमान है।

सहायक अभियन्ता,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/ 504/एस0पी0ए0/(SDM)/2024 दिनांक 13 सितम्बर, 2024

विषयः- **Service of Notice dated 22-07-2024 to Respondent (R-I & R-4 as per Notice Copy closed) in Original Application No. 199/2024 titled "Swami Omkarananda Dharma Samsthan Through its AR Dr. Anupam Vaid Vs. State of Uttarakhand & Ors." reg के संबंध में जांच आख्या।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 **National Green Tribunal** के पत्र संख्या-**NGT/Judicial/OA/199-2024** दिनांक 22.07.2024 द्वारा तपोवन लक्ष्मणझूला में जर्मन बेकरी की छत पर अवैध निर्माण के संबंध में पारित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये है।

उक्त कम में अवगत कराना है कि पूर्व में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं सिंचाई खण्ड तृतीय मुनिकीरेती द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल शामिल थे। उक्त समिति द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से जांच की गयी है। संयुक्त जांच में निम्न तथ्य परिलक्षित हुये है, जो निम्नवत् है:-

- जर्मन बेकरी के भूतल में 02 कमरों का निर्माण तथा प्रथम तल पर जर्मन बेकरी के नाम से काफी शॉप तथा एक बुक स्टोर संचालित है। कॉफी शॉप में 12 टेबिल है, तथा दूसरी मंजिल पर योगा हॉल का निर्माण/संचालन किया जा रहा है।
- सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया है कि जर्मन बेकरी तपोवन लक्ष्मण झूला के निकट स्थित है, उक्त भवन श्री देवराज भट्ट के नाम अभिलेखों में दर्ज है, के आधार पर देवराज भट्ट द्वारा वर्ष 2002 में ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा उक्त भूमि कय
की गयी, जिसका कुल क्षेत्रफल-194.00 वर्गमीटर, जिसमें पूर्व से 12 X 12 क्षेत्रफल-144.00 वर्गफीट अर्थात् 13.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रेस्टोरेंट निर्मित था। उक्त भवन के विरूद्ध मा0 जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल में वाद योजित कराया गया है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन लक्ष्मणझूला के निकट गंगा नदी के किनारे वर्तमान में तीन तलों में निर्मित है। भवन के प्रथम भूतल पर पूर्व से 12 X 12 क्षेत्रफल 144.00 वर्गफीट अर्थात् 13.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रेस्टोरेंट निर्मित था, जिसके ऊपर भूतल एवं प्रथम तल में बुक स्टोर एवं जर्मन बेकरी संचालित है, तथा सबसे ऊपर के तल

Scanned with CamScanner

पर योगा हॉल निर्मित है, जिसकी लम्बाई 19.20 मीटर एवं चौड़ाई 10.60 मीटर एवं क्षेत्रफल 203.50 वर्गमीटर है।

उक्त भवन का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है। उक्त भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं होने के कारण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन के विरूद्ध वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0121/2024/ 24(1) दिनांक 24.06.2024 योजित किया है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। (संलग्न-1) जिसपर सिलिंग के आदेश पारित किये गये है, जिसपर दिनांक 16.09.2024 की तिथि नियत है।

- सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड तृतीय मुनिकीरेती जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत शिकायती स्थल सौ वर्षीय बाढ़ आवृत्ति (Hundred Years Flood Frequency Line) की सीमा अभिलेखों के अनुसार बाहर पाया गया। उक्त भवन गंगा नदी के दांये किनारे पर उर्ध्वाधर चट्टान के ऊपर स्थित है। (संलग्न-2)
- उक्त शिकायती स्थल से जनित होने वाले घरेलु उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवर लाईन से संयोजन किया गया है। (संलग्न-3)

अत: अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/ 505/ एस0पी0ए0/(SDM)/2024 दिनांक 13 सितम्बर, 2024

विषय:- **Service of Notice dated 22-07-2024 to Respondent (R-I & R-4 as per Notice Copy closed) in Original Application No. 199/2024 titled "Swami Omkarananda Dharma Samsthan Through its AR Dr. Anupam Vaid Vs. State of Uttarakhand & Ors." reg** के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रतिवादी संख्या-04 श्री देवराज भट्ट, जर्मन बेकरी रेस्टोरेंट निकट लक्ष्मण झूला तपोवन जनपद टिहरी गढ़वाल को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत नोटिस की तामिली क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से करवाई गई है। रिपोर्ट संलग्न है।

अत: तामिली रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।
Website- ddatehri.in
E-mail–ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 230 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25

दिनांक –13 / 09 / 2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री देवराज भटट

सीलिंग आदेश

विकास क्षेत्र मे अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध मे अवैध निर्माण कार्य करने पर प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम – 1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की धारा 27(1) के अंतर्गत योजित वाद संख्या UCMS/TSN/C/0121/2024 दिनाक 22.06.2024 द्वारा वाद योजित किया गया है, उक्त भवन जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अस्तित्व मे आने से पूर्व मे ही निर्मित है जिसकी लम्बाई 19.2 मी0 एवं चौडाई 10.06 मी है एवं क्षेत्रफल 203.52 वर्ग मी0 है जिसके नीचे के भूतल पर 02 कमरे तथा भूतल पर बुक स्टोर एवं बेकरी चलाई जा रही है तथा प्रथम तल पर योगा हाल का निर्माण किया गया है। विपक्षी को स्वीकृत मानचित्र दिखाने हेतु अवगत कराया गया परन्तु विपक्षी द्वारा कोई भी स्वीकृत मानचित्र नही दिखाया गया उक्त अनाधिकृत भवन गंगा नदी के किनारे निर्मित है। विपक्षी श्री देवराज भटट को भेजे गये नोटिस के सापेक्ष में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी कार्यालय मे दिनाक 09.07.2024 सुनवायी के दौरान विपक्षी श्री देवराज भटट दिये गये शपथ पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत करा लिया जायेगा, परन्तु अभी तक विपक्षी द्वारा प्राधिकरण से न ही मानचित्र स्वीकृति ऑनलाईन आवेदन किया गया है और न ही मानचित्र स्वीकृति हेतु कोई प्रयास किया गया है उक्त अनाधिकृत भवन गंगा नदी के किनारे निर्मित होने के कारण उक्त अनाधिकृत भवन को सील किया जाना उचित है।

आदेश

विपक्षी द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किये बिना निर्माण किया गया है, जो उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम – 1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धाराओ का उल्लंघन है। अतः प्राधिकरण अधिनियम की धारा – 28ए के अन्तर्गत किये गये निर्माण को **दिनांक– 16 / 09 / 2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सील** किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अतः विपक्षी श्री देवराज भटट को आदेशित किया जाता है कि वह सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें।

विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न हान दें, क्योकिं उक्त कृत्य शासकीय कार्यो मे बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचाने के समान है, जो कि कानूनन अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामील की जाये।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक / दिनांक–यथोक्त।
प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी / सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टि0ग0 को सील की कार्यवाही को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक, मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि सील हेतु नियत तिथि पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by DEVENDRA SINGH NEGI
Date:13-09-2024 11:26:11

7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि०स्त०वि०प्रा० टिहरी को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सीलबन्द की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री देवराज भट्ट, जर्मन बेकरी रेस्टोरेन्ट, लक्ष्मण झूला, तपोवन, जिला टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनाधिकृत निर्माण/भवन को खाली कर मौके पर उपस्थित रहें।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

Digitally signed by DEVENDRA SINGH NEGI
Date: 2024.09.13 11:26:11 +05:30
Reason: Unauthorized Construction Order
Location: New Tehri